

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

डिक्री

दिनांक :- 23/2/26

वादीया की ओर से श्री हीरालाल बिरथलिया अधिवक्ता, राज पैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को उमा मित्तल ^{आर.ए.एस.} उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे वर्णित कृषि भूमि चक 11 एमडब्ल्यूएम के खाता सं. 22 के प.नं. 115/372, 116/371 की कुल 2.986 हैक्. मे से 2/9 हिस्सा की वादीया रोशनी पत्नी जीत राम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष प्रविष्टियां यथावत रखी जाती है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नही होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने की दशा मे स्थिति मे उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसे किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 23/2/26 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(उमा मित्तल पत्नी)
सहायक कलक्टर ^{आर.ए.एस.}
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा